न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 05 / 2021 राजस्व वाद

लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल बलाई आयु वयस्क निवासी— बड्डू तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी

:: निर्णय :: दिनांक— 19 / 04 / 2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि सरहद बड्डू पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1130 रकबा 0.5564 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1131 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1131 / 1 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.6828 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादी के पिता का नाम धन्ना लाल है, लेकिन सेहवन से वादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे भेरा दर्ज हो गया। जबकि वादी के पैन कार्ड , गैस डायरी,लाईट बिल, बैक डायरी,राशन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पहचानपत्र आदि मे वादी का नाम लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल बलाई दर्ज है। लेकिन उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी के पिता का नाम सेहवन से धन्ना लाल के बजाय भैरा दर्ज कर दिया गया है। जिससे वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधाओ से वंचित हो रहा है। वादी को उक्त राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 28 / 12 / 2020 को नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई। इस पर वादी प्रतिवादी के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी बार बार चक्कर देते रहे व दिनांक 06 जनवरी 2021 दो हजार इक्कीस को प्रतिवादी के पास जाने व दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी गयी। राजस्व रेकार्ड मे वादी के पिता का नाम धन्ना लाल के बजाय भेरा दर्ज होने से वादी के वैध हक [illegible] का हनन हो रहा है। इस कारण से वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे व[illegible] आ[illegible]जियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम लादू लाल पिता भैरा के [illegible] श्री धन्ना लाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तदनुसार [illegible]क डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुए व एक तरफा कार्यवाही की गयी।

प्रकरण मे वादी की ओर से अपने शपथपत्र व स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये व दस्तावेजात .पेश किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे लादू लाल पुत्र श्री भैरा के बजाय लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल दर्ज है व स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी वादी के पिता भैरा का नाम धन्ना लाल होना बताया गया व नाम दुरूस्त करने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होना बताया गया। अतः वादी का नाम लादू लाल पुत्र श्री भैरा के बजाय लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल बाई दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो के लिए वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठ़हरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद बड्डू पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1130 रकबा 0.5564 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1131 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1131/1 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.6828 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम लादू लाल पुत्र श्री भैरा बलाई के बजाय लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल बलाई दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 05/2021 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 आर.टि.एक्ट एवं 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल बलाई आयु वयस्क निवारी– बड़डू तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 19/04/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद बड़डू पटवार हल्का सेहणून्दा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1130 रकबा 0.5564 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1131 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1131/1 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.6828 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम लादू लाल पुत्र श्री भैरा बलाई के बजाय लादू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल बलाई दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 19/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड़ अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा